18.12.24 उभय पक्ष उपस्थित। वाद वादीगण स्वीकार किया
जाकर विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर
शामिल मिसल किया गया। निर्णय अनुसार
प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार के नाम से
तहरीर जारी होकर विभाजन प्रस्ताव निर्णय
अनुसार तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावे।
पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर
हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली
पेश हो।

आदेश लेट इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2015/00149

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं:– 107/2015 (जी.सी.एम.एस. 2015/00149) दायर दिनांक 15.05.2015

1. उच्छवकंवर पत्नी ज्ञान सिंह
2. उम्मेदसिंह पुत्र बन्ने सिंह
3. मोहनसिंह पुत्र बन्ने सिंह
4. बृजलालसिंह पुत्र बन्ने सिंह
5. भंवर सिंह
6. जगदीशसिंह
7. रणजीत सिंह

(5 से 7) पि0 बृजलाल सिंह

(1 से 7) अकवाम राजपूत निवासीयान कानौर तह0 तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

––वादीगण

बनाम

1. अर्जनकंवर पुत्री बन्ने सिंह
2. गुलाबसिंह पु सुल्तान सिंह
3. शेर सिंह पुत्र खिंवसिंह
4. पूनमकंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह
5. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सूरतगढ
6. त्हसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

(1 से 4) अकवाम राजपूत निवासीयान कानौर तह0 तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :–

1. श्री सुभाष चन्द्र बिश्नोई अभिभाषक वादीगण की ओर से।
2. श्री अजय कुमार अरोड़ा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं0 2 से 4 की ओर से।
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ प्रतिवादीगण सं0 6 की ओर से।

::–निर्णय–:: दिनांक :– 18.12.2024

पत्रावली प्रारम्भिक आज्ञाप्ति दिनांक 25.11.2021 की पालना में तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के पश्चात निर्णय हेतु पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.02.2024 प्राप्त होने के पश्चात किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई बरवक्त बहस दोनो पक्षो के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.02.2024 का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान के रकबा हेतु रास्ता का ध्यान नही रखा गया है तथा ना ही इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2021 अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है। वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सूरतगढ़ को पुनः आदेश दिये जाते है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अंकित जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही कानौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 73 की खाता संख्या 64/34 के खसरा संख्या 269/50 में 82.200 हैक्टर बारानी भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम अंकित 2000 हिस्सा, वादी संख्या 4 के नाम अंकित 640 हि[illegible] 5 के नाम अंकित 321 हिस्सा भूमि का शेष प्रतिवादीगण से विभाजन करने [illegible] द्वारा बनाये गये नियम 18 ता 21 के अनुसरण में वादीगण के मौके पर चले आ रहे कब्जा, [illegible] सुविधा को ध्यान में रखते हुए, वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि व प्रतिवादीगण की शेष भूमि दर्शाते हुए, स्पष्ट नक्शा सहित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत करे ताकि विभाजन प्रस्ताव का अन्तिम आदेश व डिक्री जारी की जा सके। प्राथमिक डिक्री जारी हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वादीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पुनः पेशी में ली जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

(ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

::–प्राथमिक डिक्री–::

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

(पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:– 107/2015 दायर दिनांक 15.05.2015

1. उच्छवकंवर पत्नी ज्ञान सिंह
2. उम्मेदसिंह पुत्र बन्ने सिंह
3. मोहनसिंह पुत्र बन्ने सिंह
4. बृजलालसिंह पुत्र बन्ने सिंह
5. भंवर सिंह
6. जगदीशसिंह
7. रणजीत सिंह

(5–7) पि0 बृजलाल सिंह

अकवाम राजपूत निवासीयान कानौर तह0 तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

––वादीगण

बनाम

1. अर्जनकंवर पुत्री बन्ने सिंह
2. गुलाबसिंह पु सुल्तान सिंह
3. शेर सिंह पुत्र खिंवसिंह
4. पूनमकंवर पत्नी राजेन्द्र सिंह
5. भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सूरतगढ
6. त्हसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

(1–4) अकवाम राजपूत निवासीयान कानौर तह0 तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

––प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 53–209 रा0 का0 अधिनियम मुकदमा नं0 107 यह मुकदमा इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण सुभाष चन्द्र बिश्नोई एवं प्रतिवादी सं0 2 से 4 अजय कुमार अरोड़ा एवं पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार सूरतगढ़ को पुनः आदेश दिये जाते है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अंकित जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही कानौर तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 73 की खाता संख्या 64/34 के खसरा संख्या 269/50 में 82.200 हैक्टर बारानी भूमि में से वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम अंकित 2000 हिस्सा, वादी संख्या 4 के नाम अंकित 640 हिस्सा व वादी सं. 5 के नाम अंकित 321 हिस्सा भूमि का शेष प्रतिवादीगण से विभाजन करने हेतु, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बनाये गये नियम 13 ता 21 के अनुसरण में वादीगण के मौके पर चले आ रहे कब्जा, रास्ता आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि व प्रतिवादीगण की शेष भूमि दर्शाते हुए, स्पष्ट नक्शा सहित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व प्रस्तुत करें ताकि विभाजन प्रस्ताव का अन्तिम आदेश व डिक्री जारी की जा सके।

नोज...............X............... मुबलिग ....X.............. बाबत..............X..............खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह...............X............... फस्दों की पालना ....X...............आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18.12.202[illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

(मोहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ)

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ (राज0)